संख्या 13/6/98–का०–1-98

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 21 मई, 1998

विषय :–सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए तीन मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 13/48/85–का०–1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया जा चुका है (प्रतिलिपि संलग्न)।

2—अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु कतिपय अन्य दिशा-निर्देशों को शासनादेश संख्या 13/5/89-का०–1-89, दिनांक 6 फरवरी, 1989 एवं शासनादेश संख्या 5/7/77-कार्मिक–1, दिनांक 24 अगस्त, 1977 के द्वारा भी प्रसारित किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3—अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रत्येक मामले में उपरोक्तानुसार नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 15 जून तक स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराने का कष्ट करें और मुझे तुरन्त सूचित करें।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या 13/6/98-का०–1-98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
के० एम० लाल,
विशेष सचिव।